


10/3/2022


पशादली प्रायः अधिवक्ता के  
नली प्रथम पत्र काकत मिशाल  
नलक करने पर काज पेश हुई  
प्रलुत प्रथम पत्र के प्रथमिका  
के अधिवक्ता इतर गति



सहायक कलक्टर  
एवं उप खण्ड अधिकारी  
बिलाड़ा

महेन्द्र चौधरी  
मिशनरी  
कलक्टर  
बिलाड़ा

किना कि प्राथमिकता के अन्वय  
 के अन्वय राजीनामा है  
 मुका इन्वेलिड प्राथमिकता उल्लुल  
 प्राथमिकता के अन्वयत धारा 212A  
 Act के किरी प्रकार की कार्यवाही  
 को चलाया नहीं जाते है तथा  
 प्रस्तुत प्राथमिकता का ही निष्पत्ती  
 करना चाहते है। इस हेतु पत्रावली  
 को ही लक्ष्य किया जाये।  
 अधिकतर प्राथमिकता के उल्लुल  
 प्राथमिकता पर दुना गमा के प्राथमिकता  
 का अन्वयत किना गमा उल्लुल  
 प्राथमिकता का कारण किना नतीकी  
 स्वीकार कर पत्रावली को सुनवाई  
 हेतु को ही पेशी पर ली जाती  
 है। प्राथमिकता के अधिकतर प्राथमिकता  
 प्रस्तुत प्राथमिकता का के लाभ प्राथमिकता  
 का कारण प्राथमिकता का अन्वयत धारा  
 212 A Act विज्ञापन करने हेतु  
 अन्वयत आदेश 23 निम्न। सी.सी.पी  
 का पत्र कर गति किना की

  
 अध्यक्ष कलक्टर  
 सप्ट अधिकारी  
 विभाग

प्रार्थना के अभाव में प्रार्थना के कर्म  
शरीराना हो चुका है प्रार्थना  
उत्पन्न प्रार्थना पत्र के अभाव में कोई  
कार्यवाही चलाना नहीं पाएंगे है  
उत्पन्न प्रार्थना पत्र को जरिये विज्ञापन  
स्वीकार करें।

अधिकतम प्रार्थना के उत्पन्न  
प्रार्थना पत्र पर कहे हुए शरीर  
प्रार्थना पत्र का हस्तपूर्वक प्रत्येक  
किया गया प्रार्थना के अधिकतम  
इस उत्पन्न प्रार्थना पत्र को कहे विज्ञापन  
करने प्रार्थना पत्र के अभाव में प्रार्थना  
23 निपट, सी.पी.सी स्वीकार  
किया जाकर प्रार्थना द्वारा उत्पन्न  
प्रार्थना पत्र के अभाव में द्वारा 212 AT  
A/C जरिये विज्ञापन स्वीकार किया  
जाता है। इस पत्रावली के दिनांक  
23/2/2022 को जारी अन्वयित अन्वयित  
निवेदना हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार  
किया जाने के अभाव पर स्वीकार  
कि जाती है। पत्रावली के अभाव  
शुभल होकर नम्बर के अभाव के  
दाखिल उपलब्ध है।

Sahar

सहायक कलक्टर  
एवं उप सचिव अधिकारी  
बिलासपुर